प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपी डेस्को,
गोमती नगर, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 17 दिसम्बर, 2015

विषय- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर (ईएमसी) की स्थापना हेतु ताइवान इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीमा) के माध्यम से इनकी सदस्य कम्पनियों द्वारा अथवा अन्य कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने की दशा में इनको वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की बढ़ती माँग की पूर्ति हेतु इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु विश्व-स्तरीय मूल संरचना उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना की अधिसूचना दिनाँक 22 अक्टूबर, 2012 को जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई नेशनल पालिसी आन इलेक्ट्रानिक्स-2012 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्माण एवं निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गई है।

उक्त पालिसी के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में ईएमसी की स्थापना हेतु यूपीडेस्को को चीफ प्रमोटर नामित किया गया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर ईकोटैक-VI एवं ईकोटैक- VII में यूपीडेस्को को कुल 210 एकड़ औद्योगिक भूक्षेत्र आवंटित किया गया है।

2- ग्रेटर नोएडा में ईएमसी में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग एवं सहायक उद्योगों की स्थापना हेतु ताइवान इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीमा) के साथ दिनाँक 13.08.2015 को यूपीडेस्को द्वारा अनुबन्ध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 विनिर्माण नीति-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में EMC की स्थापना हेतु ताइवान इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीमा) की सदस्य कम्पनियों एवं अन्य कम्पनियों को अधोलिखित भाग- I एवं भाग- II के अनुसार प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

भाग- I:

(1) पूँजी उपादानः- भारत सरकार के माडिफाइड स्पेशल इन्सेन्टिव पैकेज स्कीम के अन्तर्गत उपादान के अतिरिक्त 15 प्रतिशत का पूँजी उपादान।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) ब्याज उपादानः- 7 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उपादान।

(3) स्टाम्प ड्यूटी एवं विद्युत करः- शतप्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से तथा 5 प्रतिशत विद्युत कर से छूट।

(4) वैट/केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्तिः- 10 वर्षों के लिए वैट/केन्द्रीय बिक्री कर की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(5) पेटेंट की भरपाई हेतु प्रोत्साहनः- पेटेंट की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय भरपाई हेतु प्रतिपूर्ति।

(6) ईएमसी अवस्थापना विकासः- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति-2012 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ग्रान्ट के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का राज्य सरकार द्वारा उपादान की व्यवस्था।

(7) औद्योगिक प्रोत्साहन उपादानः- नई इकाइयों के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन के 50 प्रतिशत के समतुल्य उपादान की स्थापित इकाईयों हेतु व्यवस्था।

(8) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु राज्य के कौशल विकास मिशन/नीति के अन्तर्गत स्थानीय श्रमिकों, टेक्निशियन्स, अभियन्ताओं एवं प्रबन्धकीय स्टाफ के प्रशिक्षण लागत के लिए उपादान।

(9) पावर कट मुक्त निर्बाध (24X7) विद्युत आपूर्ति।

(10) एकल खिड़की माध्यम से राज्य स्तरीय त्वरित अनुमोदन की व्यवस्था।

(11) रू. 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाना।

भाग-II:

(1) राज्य में ताईवान आफिस स्थापित किये जाने में सहायता प्रदान करना। यह आफिस ताईवानी एवं टीईएमसी कम्पनियों को विभिन्न सरकारी संगठनों/कार्यालयों के साथ सम्पर्क/सहयोग स्थापित करने में एक विन्डो के रूप में कार्य करेगा।

(2) प्रारम्भिक चरण में टीईएमसी कम्पनियों/कमेटी तथा शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु नियमित बैठकों का आयोजन।

(3) उत्तर प्रदेश में चीन से आने वाले प्रोफेशनल्स को उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु आकर्षित करने के लिए चाईनीज इकोसिस्टम तैयार किया जाना।

(4) ताईवान, चीन, मलेशिया तथा अन्य राष्ट्रों से विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से आने वाले एक्सपैट्रिएट्स को लम्बी अवधि तक रोकने की दशा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्रदान करना।

(5) टीईएमसी कम्पनियों द्वारा उत्पादित स्थानीय इलेक्ट्रानिक उत्पादों का राष्ट्रीय तथा राजकीय क्रय एवं आपूर्ति हेतु "प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस" की सुविधा राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार की नीति के अनुसार दिया जाना।

(6) उ.प्र. इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग पालिसी (2014 अथवा नूतन संस्करण) के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों को समस्त टीईएमसी कम्पनियों को प्रदान किया जाना।

4- भारत सरकार की इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास, परिचालन एवं प्रबंधन हेतु स्पेशल परपज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वेहीकिल (SPV) का बनाया जाना आवश्यक है। इस SPV में अधिकांश पूँजी इकाई स्थापित करने वाले निवेशकों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यूपीडेस्को की भी हिस्सेदारी इस SPV में अधिकतम कुल पूँजी का 26% तक होगी। इसके अतिरिक्त अंशधारकों के समझौते में भी यह प्राविधान होगा कि EMC का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं प्रदेश शासन की नीति के अनुसार सुनिश्चित कराने के लिए शासन द्वारा बाध्यकारी निर्देश दिये जा सकते हैं तथा नीति विषयक मामलों में आवेदक (यूपीडेस्को) की सहमति आवश्यक होगी। EMC की स्थापना पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक की पूँजी का विनिवेश (disinvestment) किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2015/1393(1)/78-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।